

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 22 सितम्बर, 2003 / भाद्रपद 31, 1925 (शक)

संख्या: 272

सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थानाध्यक्ष, विकासपुरी, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 21/09/2003 को पूर्वाह्न 11.15 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 21/09/2003 को पूर्वाह्न 11.25 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 22nd September, 2003/ Bhadrapada 31, 1925(Saka)

No.: 272

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from S.H.O., Vikashpuri, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Shri Mukesh Sharma, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 11.15 A.M. on 21/09/2003.

He alongwith his supporters was released at 11.25 A.M. on the same day i.e. 21/09/2003."

SIDDHARTH RAO
SECRETARY